न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 03 सन 2016

अनवान :–

1. रियासत अली पुत्र हाकमअली जाति मुसलमान निवासी चक 14 बारानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्राथी

बनाम

1. अलियास खां पुत्र असमाईल खां जाति अराई निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल गैरसायल

2. लाल मोहम्मद पुत्र अलीदीन खां जाति निलगर निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. अलीमूदीन पुत्र सराजदीन जाति भाटी मु0 निवासी भादरा तहसील भादरा
4. जमीला पत्नी महबूब अली जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

तरतबी गैरसायल

प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी

उपस्थित :– श्री अन्जनी कुमार अधिवक्ता सायल
श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता गैरसायल न0
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/03/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी इस आश्य का पेश किया की गैरसायल न0 1 ने एक वाद संख्या 29/2014 अनवानी अलियास बनाम रियासत आदि अन्तर्गत धारा 88व 188 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था की रोही मौजा चक 28 एनटीआर के खाता संख्या 41/8 की कुल 2.732हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है की धोषणा व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया था उक्त वाद में सायल व तरतीबी गैरसायल ने खाता विभाजन करने पर किसी प्रकार का ऐतराज नही है का इकबाल पेश किया गया था मगर गैरसायल वादी ने अपने अकेले के पक्ष मे विशेष किलेजात की भूमि धोषणा करवा कर अपने अकेला खाता विभाजन अलग से कायम करने की डिक्री दिनांक 24.03.2014 को जारी करवाई गई।

गैरसायल वादी ने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.201 की पालना में जरिये नामान्तकरण संख्या 547 दिनांक 24.04.2014 को स्वीकृत करवा लिया जिसका सायल को पता लगा तो उक्त निर्णय व डिक्री की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई माननयी न्यायालय ने दिनांक 30.11.2015 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2014 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय व डिक्री की पालना में वाद भूमि का नामान्तकरण संख्या 547 दिनांक 24.04.2014 दर्ज किया गया था निरस्त हो चुका है तथा उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2014 के आधार पर जो भी अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया था वह निरस्त हो चुके है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 28 एनटीआर के प0न0 321/422(58) के किला न0 2/1 की 0.019 , किला न0 3/0.215 ,किला न0 9/1 की 0.019कुल 0.253हैक भूमि की इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.03.2014 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया तरतीबी गैरसायल न0 2 ता 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की रिलिफ नही होने के कारण सायल ने तर्क किया गया एवं गैरसायल न0 1 की और से विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता उपस्थित आकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी

स्वीकार करने में ऐतराज नही है जाहिर/अंकन किया हमने वकील सायल की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैरसायल न0 1 ने एक वाद संख्या 29/2014 अनवानी अलियास बनाम रियासत आदि अन्तर्गत धारा 88व 188 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था की रोही मौजा चक 28 एनटीआर के खाता संख्या 41/8 की कुल 2.732हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है की धोषणा व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया था उक्त वाद में सायल व तरतीबी गैरसायल ने खाता विभाजन करने पर किसी प्रकार का ऐतराज नही है का इकबाल पेश किया गया था मगर गैरसायल वादी ने अपने अकेले के पक्ष मे विशेष किलेजात की भूमि धोषणा करवा कर अपने अकेला खाता विभाजन अलग से कायम करने की डिक्री दिनांक 24.03.2014 को जारी करवाई गई।

गैरसायल वादी ने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.201 की पालना में जरिये नामान्तकरण संख्या 547 दिनांक 24.04.2014 को स्वीकृत करवा लिया जिसका सायल को पता लगा तो उक्त निर्णय व डिक्री की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई माननीय न्यायालय ने दिनांक 30.11.2015 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2014 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय व डिक्री की पालना में वाद भूमि का नामान्तकरण संख्या 547 दिनांक 24.04.2014 दर्ज किया गया था निरस्त हो चुका है तथा उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2014 के आधार पर जो भी अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया था वह निरस्त हो चुके है गैरसायल को भी सायल के प्रार्थना स्वीकार करने में ऐतराज नही है जाहिर/अंकन किया जा चुका है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने सायल की एकपक्षीय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार गैरसायल न0 1 ने एक वाद संख्या 29/2014 अनवानी अलियास बनाम रियासत आदि अन्तर्गत धारा 88व 188 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जो बाद सुनवाई दिनांक 24.03.2014 को निर्णय/डिक्री किया गया था। निर्णय दिनांक 24.03.2014 की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 547 दिनांक 24.04.2014 स्वीकृत किया गया था अर्थात निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया

सायल ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.03.2014 की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की गई माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनांक 30.11.2015 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 24.03.2014 को अपास्त/निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया गया।

इस प्रकार माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय निरस्त करने के कारण उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 24.03.2014 की पालना में राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन स्वत ही निरस्त हो जाता है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 30.11.2015 की पालना हेतु उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 24.03.2014 की पालना में जो भी अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया था का निरस्त किया जाकर निर्णय दिनांक 24.03.2014 की पालना में किये गये अंकन से पूर्व की स्थिति बहाल की जानी न्यायोचित है क्योकि जिस आदेश से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था वह आदेश की निरस्त किया जा चुका है जिसके सम्बध में गैरसायल न0 1 को कोई ऐतराज भी नही है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 24.03.2014 की पालना में नामान्तकरण सख्या 547 दिनांक 24.04.2014 दर्ज किया गया था से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जावे। आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र. उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)